राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

'बीमा भवन', जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर

क्रमांकःप.126/कम्प/पेपरलेस एप्लीकेशन/2020/2718 – 2755 दिनांकः 17.03.2021

संयुक्त/उप/सहायक निदेशक,
राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग,
समस्त जिला कार्यालय।

विषयः– पेपरलेस व्यवस्था में बीमा ऋण/जीपीएफ आहरण के प्रार्थना–पत्रों में ई–साईन की समस्या के समाधान बाबत।

सन्दर्भः– विभागीय जिला कार्यालयों से समय–समय पर प्राप्त ई–साईन की समस्या से सम्बन्धित विभिन्न पत्र/ई–मेल के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भानसुार लेख है कि वित्त विभाग के परिपत्र कमांक प. 4(19)वित्त/राजस्व/2018 जयपुर, दिनांक 19.10.2020 एवं परिपत्र कमांक प.4(2)/वित्त/राजस्व/98 पार्ट I जयपुर, दिनांक 08.12.2020 के के द्वारा राज्य बीमा ऋण, जीपीएफ स्थाई/अस्थाई आहरण तथा सेवानिवृत्ति पश्चात खोले जाने वाले खातों के आहरण (Rtd. Withdrawal) के आवेदनों का पेपरलेस निस्तारण जिला कार्यालय सचिवालय में पायलट बेसिस पर सफलतापूर्वक क्रियान्वयन होने के फलस्वरूप दिनांक 15.12.2020 से पेपरलेस एप्लीकेशन व्यवस्था विभाग के समस्त जिला कार्यालयों में प्रारम्भ की जा चुकी है।

उक्त पेपरलेस व्यवस्था के अन्तर्गत विभागीय जिला कार्यालयों के माध्यम से अवगत करवाया जा रहा है कि आवेदन पत्र पर कार्मिक/डीडीओ के स्तर से ई–साईन प्रदर्शित नहीं हो रहे है, जिसके कारण आवेदन का निस्तारण करने में अनावश्यक समस्या का सामना करना पड रहा है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में लेख है कि यदि कार्मिक एवं डीडीओ स्तर पर आवेदन पत्र पर ई–साईन नहीं आ रहे है तो ओटीपी वेरिफिकेशन के आधार पर प्रकरणों का निस्तारण करें, जिसमें ई–साईन के स्थान पर ओटीपी एवं आईपी एड्रेस का अंकन होवें। उक्त वैकल्पिक व्यवस्था दिनांक 31.05.2021 तक प्रभावी रहेगी।

भवदीय,

(पदमा राम)
निदेशक